**न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या : 112** **दायर दिनांक : 02.09.2019**

अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**.....वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार भूमि अधिकारी सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**....प्रतिवादी**

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम**

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादी सं. 1
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

**निर्णय** **दिनांक :**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के नाम रोही सरदारपुरा खर्था का ख.न. 189/9 के खाता सं. 23 जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 में 6.325 है. अ.क. बारानी भूमि है जो कि आरजी काश्त पर अलौट हुई थी जिसका नवीनीकरण लगातार होता रहा है व रकम राजस्व भी कायम होकर खजाना राज में जमा करवाई जाती रही है जिसकी पुष्टि नकल राजस्व गिरदावरी सम्वत् 2033 से साबित है कि उक्त भूमि आरजी काश्त पर अलौट हुई थी। उपनिवेशन विभाग द्वारा रिकॉर्ड तैयार करने के पश्चात राजस्व विभाग को सुपुर्द कर दिया। बाद तैयारी रिकॉर्ड सम्वत् 2042 की जमाबंदी तैयार कर राजस्व विभाग को सौंप दिया गया उक्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मुझ वादी का नाम अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम कौम जाट अंकित करते हुये सुपुर्द किया जो कि सही था नकल जमाबंदी सम्वत् 2042 बतौर सबूत वाद पत्र के संलग्न है। इसके साथ यह भी निवेदन किया की बरवक्त पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम जाट अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार/पटवारी हल्का व आवंटन अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम अर्जन राम पुत्र रतुराम के स्थान पर अर्जन पुत्र श्री रतीराम अंकित कर दिया व उसी के मुताबिक तमाम रिकॉर्ड जारी होने के पश्चात खातेदारी अधिकारी भी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा अर्जन राम पुत्र रतुराम के स्थान पर अर्जन पुत्र श्री रतीराम अंकित कर खातेदारी अधिकार जारी किये गये व इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भी अंकन कर दिया गया जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 23 में दर्ज कर दिया गया।

लगातार 2 पर.....

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में बतौर सबूत वादी के नाम से जारी आधार कार्ड सं. 445387998812 में व राशन कार्ड सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था में भी अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम अंकित है व इसके अलावा मुझ वादी के नाम से जारी आवासीय पट्टा सं. 84 ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था से दिनांक 16.01.2013 को जारी किया गया है जिसमें वादी का नाम अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम दर्ज है जो कि सही है। वादी उक्त राजस्व रिकॉर्ड में जरिये घोषणात्मक वाद पत्र अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम नाम दर्ज कराने की घोषणा चाहता है। वादी द्वारा अपनी उक्त भूमि पर के.सी.सी. बनवाने हेतु तमाम कागजात लेकर बैंक गया तो मैनेजर साहब ने रिकॉर्ड देखने के बाद बताया कि पहले रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाओ उसके पश्चात इस त्रुटि को सुधारने के लिये तहसीलदार साहब के समक्ष भी माह जून 2019 में गया तो उन्होनें रिकॉर्ड को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया वा कहा कि सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोई कर आदेश लाओ तो ही कुछ कार्यवाही कर सकता हूँ। उसके पश्चात वादी द्वारा नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. का भी दिनांक 10.06.19 को जारी किया गया, दो माह की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात वाद प्रस्तुत किया। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कही अर्जन पुत्र रत्तीराम दर्ज है, जबकि वादी का असली नाम अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम जाट है, अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण मुख्यमंत्री द्वारा जारी योजनाओं का वा प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाले अनुदान में दिक्कत आ रही है इसलिये वादी वाद पत्र लाकर राजस्व रिकॉर्ड में जरिये घोषणात्मक वाद पत्र अर्जन पुत्र श्री रत्तीराम के स्थान पर अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम जाट का नाम अंकन कराना चाहता है, रोही सरदारपुरा खर्था जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 23 में अर्जन पुत्र श्री रत्तीराम के स्थान पर अर्जन राम पुत्र श्री रतुराम जाट का नाम अंकन किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस बार बार दिये जाने के पश्चात भी ना तो स्वयं उपस्थित हुये वा ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ वा ना ही जवाबदावा पेश किया, दिनांक 23.12.2019 को वादी का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिस्ल किया गया।

वादी अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र, नकल जमाबंदी सम्वत् 2042 का खाता सं. 3 व आधार कार्ड, नकल गिरदावरी सम्वत् 2033, नकल राशन कार्ड, आवासीय भूमि आवंटन का पट्टा दिनांक 16.01.2013 ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था द्वारा जारी को अवलोकन करने का जोर दिया वा निवेदन किया कि वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है रिकॉर्ड दस्तावेज से बखूबी साबित है कि वादी के पिता का नाम अर्जनराम पुत्र श्री रत्तुराम दर्ज होना चाहिये किसी कारणवश यह त्रुटि हो गयी है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है तो ही वादी के हित सुरक्षित होंगें

लगातार 3 पर....

इससे किसी भी पक्षकार/सरकार को भी कोई नुकसान होने की गुंजाईश नहीं है वादी एक काश्तकार होने के कारण उसे मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जायेगा अलग नाम होने से रिकॉर्ड में अनावश्यक परेशानी से भी बच सकेगा। राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार द्वारा भी यह स्वीकार किया कि अभिलेख में त्रुटि है जो दुरूस्त की जानी आवश्यक है राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित किया जावें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वा नायब तहसीलदार राज पैरोकार सूरतगढ़ की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली वा तमाम दस्तावेजात् का भी गहनता से अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा उठाये गये वाद बिन्दुओं वा दस्तावेज का मिलान करने पर पाया कि वादी के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न नाम अंकित है जिससे उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड रहा है ऐसे तथ्यों का जैसे ही तहसीलदार के संज्ञान में आये तो वह अपने स्तर पर प्रकरण को इस न्यायालय को प्रषित कर सकते है जिससे की तुरंत समाधान हो सकता है वा काश्तकार वर्ग को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है। उक्त तमाम तथ्यों वा दस्तावेजात् का अवलोकन करने के पश्चात इस निश्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वाद वादी स्वीकार करते हुये वाके रोही सरदारपुरा खर्था जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 23 के खाना सं. 4 में अर्जनराम पुत्र श्री रत्तीराम के स्थान पर अर्जनराम पुत्र श्री रत्तुराम नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो, हुक्म आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई**

**अज अदालत** – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**बइजलास** – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

---

अनवान :–

अर्जनराम पुत्र श्री रत्तूराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**.....वादी**

**बनाम**

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**....प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.ए. मुकदमा न. 112 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री सर्वजीत छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

**वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके रोही सरदारपुरा खर्था का जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 23 के खाना सं. 4 में अर्जन राम पुत्र श्री रत्ती राम के स्थान पर अर्जन राम पुत्र श्री रत्तूराम जाट नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।**

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 17:41:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: